संख्या–2085 / 9–आ–3–99–23 विविध–99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. अध्यक्ष
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अध्यक्ष,
समस्त नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।

आवास अनुभाग – 3 लखनऊः दिनाँक–20 मई, 1999

विषय : शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के सम्बन्ध में राज्य वन नीति 1998 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा घोषित राज्य वन नीति 1998 के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में हरित पट्टिका विकसित करने के लिए स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, निजी क्षेत्र के बिल्डरों तथा औद्योगिक ले–आउट तथा इकाइयों आदि की भूमि में 20 प्रतिशत हरित पट्टिका विकसित करने हेतु उनके द्वारा विकसित कालोनियों में निम्न कार्यवाही की जायेगी :–

(क) मार्गों के साथ–साथ 9–0 मीटर तथा इसे अधिक परन्तु 12–00 मीटर से कम चौड़ी सड़के के एक ओर तथा 12–00 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाना होगा जो कि सड़क के प्रति 10 मीटर लम्बाई में न्यूनतम एक पेड़ से कम नहीं होगा अर्थात पेड़ों के मध्य दूरी 10 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ''ब्लैक टॉप'' के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर भी वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। बाद में सड़क चौड़ी किये जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार चौड़ा किये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(ख) आवासीय भूखण्डों में 1– (ए) 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड में एक पेड़।

(II) 200 से 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड में दो पेड़।

(III) 300 से 500 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड में चार पेड़।

2– समूह आवासीय योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे। भवन मानचित्र के साथ लैण्ड स्केपिंग प्रस्ताव का अनुमोदन भी आवश्यक होगा।

3– आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार आदि योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्ग0मी0 क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाये जायेंगे।

(ग) औद्योगिक (ए) प्रति 80 वर्ग मी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर एक पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

(II) औद्योगिक विकास योजना में कुल अनुमन्य खुले स्थल का 20 प्रतिशत भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

(III) बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र में सघन ग्रीन बेल्ट द्वारा पृथक किया जाना होगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(IV) औद्योगिक विन्यास मानचित्र के साथ लैण्ड स्केप प्रस्ताव का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(घ) व्यवसायिक (I) प्रति 100 वर्ग मी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर एक पेड़।

(II) वाणिज्यिक योजना में कुल अनुमन्य खुले स्थल का न्यूनतम 20 प्रतिशत पर ग्रीनरी होगा, जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

(च) संस्थागत/सामुदायिक कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग ग्रीनरी जहाँ प्रति हेक्टर 125 पेड़ की दर
सुविधायें से पेड़ लगाये जायेंगे।

(छ) कीड़ास्थल/खुले क्षेत्र ऐसे सभी स्थलों का न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग ग्रीनरी होगा जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

(ज) पार्क प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की विकास योजनाओं में वृक्षारोपण अनिवार्य किये जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए सभी सक्षम प्राधिकारी मानचित्र स्वीकृति से पूर्व उपरोक्त प्राविधानों को सुनिश्चित करेंगे तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व वृक्षारोपण भी सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 2085(1)/9–आ–3–99 तद्दिनाँक।
प्रतिलिपि :–
1. प्रमुख सचिव, वन उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
5. अतिरिक्त निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

जावेद एहतेशाम
अनु सचिव